# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

**प्रकरण स. : 09/2022 (निगरानी पंचायत)**
**GCMS No: 2022/35**

**अनवान**

1. श्रीमती पूर्णिमा पत्नी स्व. श्री सूरजप्रकाश व्यास, निवासी सायरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.) हाल निवासी करोली, तह. भदेसर जिला चितौडगढ. राज.।
2. सुश्री काव्या पुत्री स्व. श्री सुरजप्रकाश व्यास उम्र 11 वर्ष, निवासी सायरा, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर हाल निवासी करोली, तह. भदेसर जिला चितौडगढ. राज. नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती पूर्णिमा पत्नी स्व. श्री सूरजप्रकाश व्यास।
3. श्री राज पुत्र स्व. श्री सुरजप्रकाश व्यास उम्र 8 वर्ष, निवासी सायरा, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर हाल निवासी करोली, तह. भदेसर जिला चितौडगढ. राज. नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती पूर्णिमा पत्नी स्व. श्री सूरजप्रकाश व्यास।

– निगरानीकर्ता

**बनाम**

1. श्री गोविन्द पुत्र स्व. श्री पुखराज व्यास, निवासी सायरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.) हाल निवासी–14 जे.टी.नगर आई माता रोड, पर्वत पाटीया सुरत, गुजरात–395010
2. ग्राम पंचायत सायरा, पं.स. सायरा, जिला उदयपुर राज. जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सायरा प.स. सायरा जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स

**उपस्थित**

1. श्री कुन्दन सिंह सोनी, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री प्रफुल्ल करनपुरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।

**निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994**
**विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत सायरा पट्टा जारी आदेश दिनांक 24.11.2021**
**(पट्टा संख्या 64906 )**

## * निर्णय *

दिनांक–07-07-2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.07.12 12:42:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मौजा सायरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर निगरानीकर्ता एवं विपक्षी संख्या 1 के

संयुक्त परिवार की एक पैतृक अचल संम्पति स्थित है, जो स्वर्गीय बिहारीलाल व्यास की थी एवं उनके निधन के उपरान्त संयुक्त स्वामित्व मे आयी। विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 से आबादी भूमि मे स्थित पुराने गृह (पैतृक मकान) का पट्टा संख्या 64906 दिनांक 24.11.2021 को स्वयं के नाम से प्राप्त कर लिया। प्रार्थीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार हैं। मुल पुरुष बिहारीलाल जी व्यास थे। जिनके चार पुत्र श्री रतनलाल, श्री पुखराज, श्री चन्द्रप्रकाश एवं श्री दिलीप है। श्री बिहारीलाल के तीन पुत्रीया है राधादेवी, रुकमणी देवी, इन्द्रा देवी है। इन्द्रा देवी का स्वर्गवास हो चुका है। रतनलाल जी का स्वर्गवास हो गया, जिनके वारीसान में पत्नि उर्मिला देवी, पुत्रीया मीना, अनिता, कल्पना, पुत्र सुरजप्रकाश है। सुरजप्रकाश का स्वर्गवास दिनांक 05.01.2021 को हो गया है। जिनके वारीसान में प्रार्थीगण पूर्णिमा पत्नि, काव्या पुत्री एवं राज पुत्र है। पुत्री काव्या व पुत्र राज नाबालिग है। श्री पुखराज का स्वर्गवास हो जाने से उनके वारोसान में पत्नि पुष्पाबाई एवं दो पुत्र पवन कुमार एवं गोविन्द है। गोविन्द उक्त मामले में विपक्षी संख्या एक है। इन्द्रा देवी फोत हो जाने से उनके दो पुत्र नरेश, श्याम व पुत्री सीमा है। उनके पति श्री गोपाल पिता श्री मुन्नालाल दवे हैं। यह कि उक्त वर्णित पडौस का मकान स्व. बिहारीलाल जी व्यास का होकर बिहारीलाल जी के वारीसान पुत्र श्री रतनलाल, श्री पुखराज श्री चन्द्रप्रकाश, श्री दिलीप एवं पुत्रीयां राधादेवी, रुकमणो देवी एवं इन्द्रा देवी काबिज हुए। श्री रतनलाल एवं श्री पुखराज के स्वर्गवास हा जाने के बाद श्री रतनलाल के वारिसान में पत्नि उर्मिला देवी, पुत्रीया मीना, अनिता, कल्पना, पुत्र सुरजप्रकाश स्वामी होकर काबिज है तथा श्री पुखराज के स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके वारिसान में पत्नि पुष्पा बाई एवं पुत्र पवन कुमार एवं गोविन्द, स्वामी एवं काबिज है। यह कि उक्त वर्णित पडौस का मकान बिहारीलाल जी के स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान का होकर पुश्तैनी एवं मोरुसी जायदाद है। जिसका श्री बिहारीलाल के वारिसान के मध्य आज दिन तक उक्त वर्णित मकान का कानूनी रुप से एवं भौतिक रुप से कोई बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त वर्णित मकान में बिहारीलाल के स्वर्गवास के बाद बिहारीलाल के वारिसान के अनुसार बराबर हिस्सा है। जो अविभक्त है। जिसका कानूनी रुप से कोई बंटवारा नहीं हुआ है यह जानते हुए उक्त वर्णित मकान का विपक्षी संख्या एक ने कानूनी रुप से भैतिक रुप से बंटवारा नहीं होने के बावजूद भी उक्त वर्णित मकान का केवल मात्र अपने नाम पर पट्टा प्राप्ति बाबत् विपक्षी संख्या दो के यहा प्रयास किया। यह कि प्रार्थीगण को जानकारी होने पर प्रार्थीगण की और से पूर्णिमा ने दिनांक 10.06.2021 को विपक्षी संख्या दो को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उक्त वर्णित मकान का पट्टा अन्य किसी को नहीं देने बाबत् निवेदन किया। दिनांक 11.06.2021 को पुनः प्रार्थीगण की और से पूर्णिमा ने विपक्षी सं. दो को एवं 14.06.2021 को प्रार्थीगण की और से उ[illegible] ने विपक्षी संख्या दो, सचिव ग्राम पंचायत सायरा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद उदयपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.07.12 12:42:39 IST
Reason: SelfAttested

किया। उक्त प्रार्थना पत्र सभी को प्राप्त हो चुके है जिसकी प्राप्ति रसीद प्रार्थीगण के पास है। विपक्षी संख्या दो ने विपक्षी संख्या एक को दिनांक 24.11.2021 को प्रशासन गांवो के संग अभियान 2022 म स्थान सायरा में गैर कानुनी एवं कानुन के विपरीत जाकर उक्त वर्णित मकान प्रार्थीगण एवं श्री बिहारीलाल के स्वर्गवास के बाद उनके वारीसान जिसका वर्णन उपर किया जा चुका है, कि मौरुसी एवं पेतृक सम्पति है जिसका बिहारीलाल के मध्य कानूनी रुप से कोई बंटवारा हुये बिना पट्टा जारी कर दिया जो सर्वथा गैर कानूनी एवं कानून के विपरित है। जो निरस्त होने योग्य है। जिसे निरस्त फरमाया जावे। प्रार्थीगण की और से उक्त वर्णित मकान का विपक्षी संख्या दो द्वारा जो पट्टा दिया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो नकल देने से इनकार कर दिया। तब प्रार्थीया को जानकारी हुई कि उक्त वर्णित पट्टे की दिनांक 26.11.2021 को सब रजिस्ट्रार सायरा के यहां पंजीयन करवा दिया, तब प्रार्थीया द्वारा दिनांक 18.02.2021 को सब रजिस्ट्रार सायरा के यहा से प्राप्त करने का आवेदन देने पर दिनांक 24.02.2022 को नकल प्राप्त कर यह निगरानी अविलम्ब न्यायालय में पेश हैं। अतः विपक्षी संख्या दो द्वारा जो विपक्षी संख्या एक के पक्ष में पट्टा जारी किया गया उक्त वर्णित मकान का पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। ग्राम पंचायत सायरा से मूल पत्रावली तलब की जाकर प्रकरण मे सुनवाई हेतु तिथि नियत की गई। नियत तिथि को निगरानीकर्ता क अधिवक्ता उपस्थित हुए। विपक्षी संख्या एक उपस्थित हुए। जबाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया। विपक्षी संख्या एक की और से नियत तिथि को अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल करनपुरिया द्वारा वकालत पत्र पेश कर जबाब हेतु समय चाहा।

निर्धारित तिथि को बहस प्रांरभ करते हुए निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा निगरानी मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथित पट्टा अवैध जारी होना, मौरुसी जायदाद का पट्टा गलत तरीके से विपक्षी ने ले लिया गया जबकि पैतृक मकान का बंटवारा नहीं हुआ हैं। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जबाब में विपक्षी ने रतनलाल का मकान माना है। जबकि विपक्षी रतनलाल के वारिसान नहीं है। प्रार्थीगण रतनलाल के वारिसान है। प्रार्थीगण को जायदाद से वंचित कर दिया गया। पैरा संख्या दो में वारिसान प्रार्थीया स्वंय भी है इसमें प्राथीगण की कोई भी सहमति नहीं है, अतः 24.11.2021 को जारी पट्टे को निरस्त किया जावे। आज भी कब्जा हमारा है, तथा सभी वारिसान [illegible] है। मकान पैतृक होना, अधिकारीयों एव कर्मचारियो की मिलीभगत होना आदि आधारों पर [illegible] पंचायत द्वारा जारी पट्टे को विधि विरूद्ध बताते हुये निरस्त करने की [illegible] की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.07.12 12:42:39 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए निगरानीकर्त्ता द्वारा पस्तुत निगरानी को मिथ्या तथ्यों पर आधारित होना बताया है। टाईपिंग में गलती होने से बिहारीलाल के नाम पट्टा शुल्क की रसीद प्राप्त होना लिखा है जबकि रतनलाल पुत्र श्री बिहारीलाल के नाम रसीद प्रस्तुत की। आवासोय सम्पत्ति के संबंध में सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। रजिस्ट्रड पट्टे को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। बंटवारा नही हुआ है आवासीय सम्पत्ति के बंटवाडे के लिए भी इनको सिविल न्यायालय जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट पेश किये है जिसमे 1995 में बिहारीलाल जी की मृत्यु हुयी है। दिनांक 07.06.2002 को ग्राम पंचायत सायरा द्वारा श्री रतनलाल से 251/– रुपया पट्टाशुल्क प्राप्त कर रसीद जारी की जिसके रसीद न. 96 दिनांक 21.03.2002 को आबादी भूमि का विक्रय विलेख जारी किया, जिस पर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, पंचायत समिति गोगुन्दा एवं सरपच सायरा के हस्ताक्षर है। तथा रतनलाल का डॉक्यूमेंट उससे पहले का पेश किया है। रतनलाल के वारिसान की डिटेल पत्रावली पर उपलब्ध है। इस प्रकार पत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार विधि के अनुसार के अनुसार सिविल न्यायालय को है। अतः सिविल न्यायालय में बंटवाडे का वाद प्रस्तुत करना चाहिए। यदि पट्टा गलत जारी किया है तो पट्टे के निरस्तीकरण का वाद भी सिविल न्यायालय में ही प्रस्तुत करना चाहिए। ग्राम पंचायत सायरा द्वारा रतनलाल से दिनांक 23.07.1989 एवं दिनांक 14.03.1990 को रुपया प्राप्त कर रसीद जारी की एवं 19.01.2002 को ग्राम पंचायत सायरा के सचिव द्वारा रतनलाल पिता बिहारीलाल के नाम का मालिक होने का प्रमाण पत्र किया जारी किया, जिसमें यह अकिंत किया कि मकान श्री रतनलाल स्वंय का है। रिवीजन में इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः सिविल न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए।

निगरानीकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा बहस में भाग लेते हुए कहा कि हकत्याग से ही शेयर ट्रांसफर हो सकता है। बहस में भाग लेते हुए रेस्पोडेन्ट्स अधिवक्ता ने कहा कि केवल उर्मिला की सहमति है। जिसका 1/5 वा हिस्सा है। निगरानीकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा की किसी भी प्रकार के विवाद होने पर विक्रय विलेख निरस्त किये जाने का उल्लेख ग्राम पंचायत में किया है। पट्टे देने के आदेश के विरुद्व निगरानी में आया हूॅ।

हमने निगरानीकर्ताओं एवं रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली मे उपलब्ध निगरानी, ग्राम पंचायत सायरा की पत्रावली आदि अवलोकन किया एवं उनमे वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। ग्राम पंचायत सायरा से प्राप्त मूल पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 1 श्री गोविन्द पुत्र श्री पुखराज पुराने मकान का पट्टा चाहने बाबत् [illegible] मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी [illegible] आधारित कर पट्टा संख्या 64906 जारी किया गया है। यदि [illegible] तो विपक्षी संख्या 2 का यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.07.12 12:42:39 IST
Reason: SelfAttested

दायित्व था कि विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे पट्टा जारी करने से पूर्व समस्त तथ्यों की विस्तत जांच की जाती। दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण मे पूर्णतया जांच किये बिना एवं प्रक्रिया अपनाये बिना कथित पट्टा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जारी हुआ हैं। निगरानी एवं उसके जवाब से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण भी रतनलाल के 1/5 हिस्से के वारिस है। अतः अप्रार्थी सं. 1 का यह कथन भी स्वीकार कर लिया जावे कि विवादित सम्पत्ति बिहारीलाल की नहीं होकर रतनलाल की है तो भी निगरानीकर्ताओ का भूमि में 1/5 हिस्सा है लेकिन अप्रार्थी सं. 1 बिहारीलाल के तो वारिस है लेकिन रतनलाल के वारिस नहीं होकर उसके भाई पुखराज के वारिस है। अपंजीकृत दस्तावेज से कोई सम्पत्ति स्थानान्तरित नहीं मानी जा सकती है। अप्रार्थी सं.1 के अधिवक्ता द्वारा पट्टा रजिस्ट्रड होने तथा आवासीय सम्पत्ति का विवाद होने का कथन कर इस न्यायालय का श्रवणाधिकार नहीं होने का कथन किया है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम–1995 के तहत ग्राम पंचायत पट्टे जारी करने के आदेश के विरुद्व निगरानी इसी न्यायालय द्वारा सुनी जाती है। इसके बाद उस पट्टे का पंजीयन होने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। यह न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे एवं पट्टे जारी करने के आदेश के विरुद्व ही सुनवायी कर रहा है। आवासीय सम्पत्ति का कोई बंटवारा इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा रहा है। ऐसा पट्टा स्पष्ट रूप से प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण परिलक्षित होने से निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः निगरानीकर्ता द्वारा पस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत सायरा, जिला उदयपुर द्वारा विपक्षी संख्या 1 श्री गोविन्द के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 64906 निरस्त किया जाता है एवं ग्राम पंचायत को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि को नवीन आवेदन प्राप्त होने पर पूर्णतया जांच एवं विधिक प्रक्रिया का अनुसरण कर सभी वारिसो के पंजीकृत हकत्याग प्राप्त कर अथवा माननीय सिविल न्यायालय द्वारा सम्पत्ति के धोषित स्वत्व रखने वाले व्यक्ति को ही पट्टे जारी करने की कार्यवाही करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

**(ओ.पी.बुनकर)**
**अतिरिक्त जिला कलक्टर**
**उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.07.12 12:42:39 IST
Reason: SelfAttested